बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
आदेश

पटना, दिनांक– 06/08/2025

संचिका संख्या–11/वि० 11–170/2024-2144 राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों/प्रधान शिक्षकों/सभी कोटि के शिक्षकों/विद्यालय अध्यापकों/पुस्तकालयाध्यक्षों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का ई–शिक्षाकोष पोर्टल पर e-Service Book संधारित करने संबंधी निर्णय विभागीय पत्रांक–109/गो०, दिनांक–24/10/2024 द्वारा संसूचित है। इस e-Service Book में प्रधानाध्यापकों/प्रधान शिक्षकों/सभी कोटि के शिक्षकों/विद्यालय अध्यापकों/पुस्तकालयाध्यक्षों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की व्यक्तिगत एवं सेवा से संबंधित जानकारियाँ यथा नियुक्ति, सम्पुष्टि, वेतन निर्धारण, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, विभागीय कार्रवाई, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, पुरस्कार, अवकाश इत्यादि के साथ ही सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्र भी संधारित होंगे। उल्लेखनीय है कि सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्र को e-Service Book का भाग बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी पदाधिकारी द्वारा किसी भी स्तर पर इन प्रमाण–पत्रों का अवलोकन एवं जाँच किया जा सकेगा।

2. **प्रमाण–पत्रों को अपलोड करना** – सक्षमता–1 एवं 2 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों (पुस्तकालयाध्यक्ष सहित), TRE-3 के विद्यालय अध्यापकों, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों एवं प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षकों से कांउसलिंग के दौरान लिये गये सभी प्रमाण पत्रों का अभ्यर्थीवार फोल्डर, जो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में संधारित है, को जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय द्वारा स्कैन कर ई–शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। TRE-1 एवं 2 के विद्यालय अध्यापकों, नियमित शिक्षकों (प्रधानाध्यापक सहित) तथा नियोजित शिक्षकों द्वारा ई–शिक्षाकोष पोर्टल पर अपने लॉगिन आई.डी. से सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की PDF फाईल यथास्थान अपलोड की जायेगी, जिसे संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक द्वारा विद्यालय के लॉगिन आई.डी. से अनुमोदित किया जायेगा। साथ ही सभी कोटि के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का क्रमांक एवं उतीर्णता का वर्ष भी ई–शिक्षाकोष पोर्टल पर यथास्थान अंकित किया जायेगा।

3. **BPSC एवं BSEB के पोर्टल पर अपलोड दस्तावेज** – TRE-1, 2 एवं 3 के तहत नियुक्त एवं कार्यरत विद्यालय अध्यापक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों, प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षकों तथा सक्षमता–1 एवं 2 में उतीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा क्रमशः बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) में आवेदन करते समय अपलोड किये गये सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्र भी e-Service Book का भाग होगा, जिसे BPSC एवं BSEB के पोर्टल से API के माध्यम से ई–शिक्षाकोष पोर्टल पर Import किया जायेगा।

ई–शिक्षाकोष पोर्टल पर जिलों द्वारा शिक्षकों के अपलोड किये गए प्रमाण पत्रों को बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) में आवेदन करते समय अपलोड किये गये सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्रों के साथ मिलान किया जायेगा। तत्पश्चात जिलों द्वारा इन प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित बोर्ड/संस्था/विश्वविद्यालय से ऑनलाइन अथवा ऑफलाईन (जैसा लागू हो) कराया जायेगा।

4. **Biometric Verification** – अंकनीय है कि बड़े पैमाने पर शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है, जिसके फलस्वरूप ये शिक्षक नये विद्यालयों में योगदान किये है। साथ ही उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं प्राथमिक विद्यालयों में क्रमशः प्रधानाध्यापकों एवं प्रधान शिक्षकों का पदस्थापन भी हुआ है। ऐसे में विद्यालय अध्यापक, सक्षमता उतीर्ण विशिष्ट शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं प्रधान

शिक्षकों का Biometric Authentication आधारित आधार सत्यापन भी किया जायेगा। साथ ही इन शिक्षकों का Thumb Impression एवं फोटो, जो ऑनलाइन परीक्षा के दौरान लिया गया था, का भी सत्यापन किया जायेगा। यह कार्य चरणबद्ध तरीके से सभी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से सम्पादित होगा। तत्पश्चात Maker, Checker एवं Approver के माध्यम से दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत ई–शिक्षाकोष पोर्टल पर e-Service Book संधारण की कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी।

5. <u>अन्य शिक्षक/पुस्तकालयाध्यक्ष/शिक्षकेत्तर कर्मियों के प्रमाण–पत्रों का सत्यापन</u> – कंडिका–4 में वर्णित शिक्षकों के अतिरिक्त शेष कार्यरत शिक्षकों/पुस्तकालयाध्यक्षों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों से प्राप्त सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्रों का भी सत्यापन किया जायेगा। ऐसे में आवश्यक है कि संबंधित शिक्षक/कर्मी प्रमाण–पत्रों को उपलब्ध कराते समय स्वयं आश्वस्त हो लें कि उनके द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा प्रमाण–पत्र सही है। तत्पश्चात इन कर्मियों के e-Service Book का संधारण समरूप प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।

प्रधानाध्यापकों/प्रधान शिक्षकों/सभी कोटि के शिक्षकों/पुस्तकालयाध्यक्षों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता तथा अन्य दस्तावेज, जो e-Service Book का भाग होगा, की सम्भावित सूची **<u>अनुलग्नक–1</u>** के रूप में संलग्न है।

6. <u>Service Record</u> – उल्लेखनीय है कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों/विद्यालय अध्यापकों/पुस्तकालयाध्यक्षों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के ई–शिक्षाकोष पोर्टल पर e-Service Book में कार्मिकों के सम्पूर्ण सेवा काल से संबंधित जानकारियाँ, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, पुरस्कार, अवकाश इत्यादि के साथ ही Biometric भी संधारित रहेगा। ज्ञातव्य हो कि विभाग को प्रायः इस तरह की शिकायतें प्राप्त होती है कि कार्मिकों द्वारा उपलब्ध कराये गये शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्रों एवं Biometric इत्यादि के साथ छेड़–छाड़ किया जा रहा है/किया गया है। ऐसे में इस e-Service Book के अवलोकन से विभाग किसी भी स्तर से एवं किसी भी समय इन दस्तावेजों की जाँच करा सकेगा कि कोई कार्मिक अपने सेवा के दौरान अथवा सेवा में आने के पूर्व अपने प्रमाण–पत्रों में कोई छेड़–छाड़ किया है अथवा नहीं।

उपरोक्त के आलोक में निदेश दिया जाता है कि अपने अधीनस्थ कार्यरत प्रधानाध्यापकों/प्रधान शिक्षकों/सभी कोटि के शिक्षकों/विद्यालय अध्यापकों/पुस्तकालयाध्यक्षों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के बीच विभागीय निर्णय को प्रसारित किया जाय। साथ ही यह भी प्रसारित किया जाय कि इस प्रक्रिया के दौरान यदि किसी शिक्षक/विद्यालय अध्यापक/पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शिक्षकेत्तर कर्मी के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्रों एवं Biometric इत्यादि में कोई भिन्नता किसी भी समय पायी जाती है, तो संबंधित कर्मी के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन

अनुलग्नकः– यथोक्त।

6/8/2025

(डॉ० एस0 सिद्धार्थ)

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक 11/वि० 11–170/2024-2144/ पटना, दिनांक 06-08-2025

प्रतिलिपिः–सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/8/2025

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक 11/वि० 11–170/2024-2144/ पटना, दिनांक 06-08-2025
प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/8/2025
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक 11/वि० 11–170/2024-2144/ पटना, दिनांक 06-08-2025
प्रतिलिपिः–सचिव (द्वय), शिक्षा विभाग/राज्य परियोजना निदेशक, बी०ई०पी०सी०/प्रबंध निदेशक, बी०एस०ई०आई०डी०सी०/निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी०/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्याह्न भोजन योजना/ निदेशक (प्रशासन)/निदेशक, जन शिक्षा/निदेशक, उच्च शिक्षा/निदेशक, पुस्तकालय/विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/अपर राज्य परियोजना निदेशक, बी०ई०पी०सी०/बजट शाखा, शिक्षा विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/8/2025
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक 11/वि० 11–170/2024-2144/पटना, दिनांक 06-08-2025
प्रतिलिपिः– सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/8/2025
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक 11/वि० 11–170/2024-2144/पटना, दिनांक 06-08-2025
प्रतिलिपिः–सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/8/2025
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक 11/वि० 11–170/2024-2144/पटना, दिनांक 06-08-2025
प्रतिलिपिः–सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

6/8/2025
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक 11/वि० 11–170/2024-2144/पटना, दिनांक 06-08-2025
प्रतिलिपिः–विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

6/8/2025
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक 11/वि० 11–170/2024-2144/पटना, दिनांक 06-08-2025
प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

6/8/2025
अपर मुख्य सचिव

Documents required for e-Service Book of Teachers

अनुलग्नक-1

S. No.	Documents	Type of Teacher					
		Head Master	Head Teacher	Regular Teacher	BPSC Teacher	Exclusive Teacher	PRIs Teacher
A	**Academic Qualification**						
1	Matric Marksheet	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Matric Certificate	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Intermediate Marksheet	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Intermediate Certificate	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Graduation Marksheet (If Applicable)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Graduation Certificate (If Applicable)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Post Graduation Marksheet (If Applicable)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Graduation Certificate (If applicable)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Ph. D. (If applicable)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B	**Training Qualification**						
10	DPE/D.El.Ed/B. Ed. Marksheet	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	DPE/D.El.Ed/B. Ed. Certificate	✓	✓	✓	✓	✓	✓
C	**Teacher Eligibility**						
12	CTET/STET/BTET Certificate	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	Dakshata (Efficiency) Certificate					✓	✓
D	**Appointment Certificate**						
14	Niyojan Certificate					✓	✓
15	Appointment Letter	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E	**Reservation/Diability/Freedom Fighter Etc. Certificate**						
16	Caste Certificate						
17	Disability Certificate						
18	Freedom fighter Certificate						
19	Domicile Certificate						
20	Non Creamy Layer Certificate (for BC & EBC)						
21	EWS (Income & Assets Certificate)						